न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 257/2016/डिक्री

भेरूलाल मुत्तबन्ना बरदा तेली
निवासी बारू तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट

बनाम

1. कौशल्यादेवी पत्नि मेधराज बिडला
   निवासी मीरा मार्केट के पीछे चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़
2. सरजु बेवा बरदा तेली
   निवासी बारू तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ
3. राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार राशमी जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, राशमी
निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07/06/2016 प्रकरण संख्या 110/2013

उपस्थित – 1. श्री कृष्णगोपाल झंवर – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री सत्यनारायण ईनाणी – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट 1

निर्णय दिनांक : – 12.04.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक दावा जो बाद कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री किया गया उस निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध यह अपील पेश है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री कानून एवं तथ्यो के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का कोई मौका नही दिया न ही दावे की नकल मिली। इस प्रकार का निर्णय विधि के विपरीत है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कौशल्यादेवी द्वारा इसी प्रकार का एक दावा पूर्व मे भी अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया जो भी खारीज हुआ जिससे दुबारा दावा उसी न्यायालय मे चलने योग्य नही था। अपीलान्ट आराजीयात का खातेदार काश्तकार काबिल था। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तो के विपरीत है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त फरमाया जाकर गुणावगुण पर निस्तारण के लिये अधीनस्थ न्यायालय मे प्रतिप्रेषित फरमाया जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

2. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि यह निर्णय कैम्प कोर्ट मे किया गया है जिसकी सुनवाई हेतु कोई नोटिस प्राप्त नही हुआ। अधीनस्थ न्यायालय मे तारीख पेशी दिनांक 13/06/2016 निर्धारित थी इससे पूर्व ही दिनांक 07/06/2016 को ही प्रकरण निर्णित कर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली जवाब के लिये चल रही थी इसी बीच बिना राजीनामे के प्रकरण निर्णित कर दिया गया। ऐसी सूरत मे उक्त निर्णय किसी प्रकार से लोक अदालत की परिभाषा मे नही आता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

3. दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट ने बयान किया कि सरजूदेवी का 1/2 हिस्सा रेस्पोडेन्ट द्वारा क्रय कर लिया गया। अपीलान्ट एक फॉर्मल पार्टी है। लोक अदालत मे सुलभ न्याय उपलब्ध कराने की मंशा से निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नही पाया जाता है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारीज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई। अपील एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया, जिससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना निर्णय पारित किया गया है। बिना किसी प्रार्थना पत्र के निर्धारित तिथि से पूर्व प्रकरण बिना नोटिस जारी किये तथा बिना तामील कराये निर्णित किया जाना न्यायोचित नही है। फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राशमी द्वारा प्रकरण संख्या 110/2013 मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07/06/2016 को अपास्त किया जाकर उभयपक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण पुनः निर्णित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़